कार्यालय कलेक्टर (व्यवहारवाद) दमोह

क्रमांक क/व्यवहारवाद/2021/2206 दमोह दिनांक 23.06.2021

प्रति,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
भोपाल बेंच
भोपाल (म0प्र0)

विषयः— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक 92/2020 द्वारा दिनांक 02.03.2021 को पारित आदेश के अनुपालन बावत् ।

संदर्भः— माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 92/2020 में पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के पालन में ।

—00—

विषयांतर्गत प्रकरण क्रमांक 92/2020 पक्षकार अजय चौबे विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के परिपेक्ष्य में गठित कमेटी द्वारा दिनांक 18/06/2021 को नाले का निरीक्षण किया गया, जिसकी विस्तृत रिर्पोट अनुविभागीय अधिकारी (रा0) दमोह द्वारा दिनांक 23.06.2021 को प्रेषित की गई हैं ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0) दमोह से प्राप्त विस्तृत रिर्पोट (फोटोग्राफ सहित) संलग्न कर सादर संप्रेषित हैं ।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

23/6/2021

अपर कलेक्टर
दमोह

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जिला–दमोह

क्रमांक / /प्रवा. / 2021 / 456 — दमोह दिनांक 23 / 06 / 2021

प्रति,

कलेक्टर महोदय
(व्यवहारवाद) दमोह

विषय — माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण भोपाल बेंच में विचाराधीन प्र.क्र. / 92 / 2020(CZ) पक्षकार अजय चौबे विरूद्ध म.प्र.शासन में व अन्य कें संबंध में ।

सदंर्भ — आपका पत्र क्रमांक 989 / व्यवहारवाद / 2021 दमोह दिनांक 27 / 03 / 2021.

------00------

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के परिपेक्ष्य मे गठित कमेटी द्वारा दिनांक 18 / 6 / 2021 को निरीक्षण किया गया, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व), दमोह

अनुविभागीय अधिकारी
दमोह (म.प्र.)

ES
Latitude: 23.815042
Longitude: 79.43547
Elevation: 358.57 m
Accuracy: 6.5 m
Time: 18-06-2021 13:05
Note: टाइम्स कॉलेज के सामने अमृत नाला निर्माण
Powered by NoteCam

Latitude: 23.814923
Longitude: 79.435682
Elevation: 370.57 m
Accuracy: 2.0 m
Time: 19-06-2021 11:52
Note: times collage in side
Powered by NoteCam

Latitude: 23.815407

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जिला–दमोह

क्रमांक / / 2021 दमोह दिनांक 23/06/2021

प्रति,

माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण,
भोपाल बेंच
भोपाल

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण भोपाल बेंच में विचाराधीन प्र.क./92/2020(CZ) पक्षकार अजय चौबे विरूद्ध म.प्र.शासन में व अन्य कें संबंध में ।

सदंर्भ :– माननीय कलेक्टर महोदय (व्यवहारवाद) दमोह कें पत्र कमांक 989/व्यवहारवाद /2021 दमोह दिनांक 27/03/2021.

----000---

विषयांतर्गत माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति एवं की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु आदेशित किया गया था जिसके तारतम्य में दिनांक 18/06/2021 को तहसीलदार दमोह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दमोह क्षेत्रीय कार्यालय म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर के मुख्य रसायनज्ञ एवं राजस्व अपरीक्षक नजूल के साथ स्थल निरीक्षण किया गया। बिन्दुवार प्रतिवेदन इस प्रकार है।

1. आवेदक अजय चौबे द्वारा इस आशय का आवेदन दिया गया कि दमोह शहर के शासकीय नाले (करौंदा नाला) पर प्रतिवादी कमांक 03 एंव 04 कमशः श्री सुशील गुप्ता एंव श्री राजेश एलबर्ट द्वारा अनाधिकृत निर्माण किया गया है जिससे नाले के पानी के निकास मे अवरोध उत्पन्न हुआ है। इससे पर्यावरण को क्षति होगी तथा सीवेज का पानी फैलेगा जिसका लोगो के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पडेगा।

उक्त बिंदु जांच मे पाया गया कि खसरा नं0 01 रकवा 2.582 हे0 म0प्र0शासन नाला (करौंदा नाला) दर्ज है प्रतिवादी क0 03 द्वारा नगर पालिका द्वारा निर्मित, नाले पर मात्र पुलिया बनायी गई है जिससे नाले के पानी की निकासी मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। बल्कि बहाव सुचारू रूप से हो रहा है।(फोटाग्राफ संलग्न)

यह सही है कि प्रतिवादी क. 03 के भूमिस्वामी स्वत्व की आराजी ख0नं0 4/10/ख रकवा 0.673 हे0 जिस पर टाइम्स कालेज निर्मित है उक्त शासकीय नाले से लगी हुई है । प्रतिवादी का नाले के उत्तर पश्चिमी कोने पर 200 वर्गफुट पर रेलिंग तथा बाउन्ड्रीवाल

बनाकर अवैध कब्जा पाया गया है जिसे हटाने मे स्वयं प्रतिवादी ने सहमति दी है तथा हटाना प्रारंभ कर दिया है ।

इस स्थान पर पक्का नाला निर्मित नहीं है तथा पानी के निकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है।

प्रतिवादी क्र 04 का नाले के पश्चिम दिशा की ओर गेट लगाकर कब्जा पाया गया था जिसे हटवा दिया गया है। गेट के कारण जल निकासी पर कोई प्रभाव नहीं पडता था।

2. आवेदक ने लेख किया है कि नाले की चौडाई कही कहीं 46 फुट, 60 या 64 फुट थी जबकि वर्तमान में अतिक्रमण के कारण मात्र 6 से 8 फुट रह गयी है जिससे नाले के पानी निकासी पर प्रभाव पडा है। यह भी लिखा कि विवेकानंद नगर के लगभग 5000 लोग बरसात के समय अत्यधिक पानी भरने के कारण भयाक्रांत रहतें हैं तथा सोसायटी में सीवेज का पानी भी भरता है जिससे बाढ जैसी स्थिति बनती है।

निवेदन है कि मौके पर नगरपालिका दमोह द्वारा निर्मित नाले की चौडाई 6 से 8 फुट है जो शासन के निर्देशानुसार ही है। पानी निकासी प्रभावित नहीं होती है फिर भी उक्त बिंदु को दृष्टिगत रखते हुये नाले के हाउसिंग बोर्ड कालोनी की तरफ वाले किनारें पर वीप–होल्स निर्मित करा दिये गयें हैं। जिससे भविष्य में कालोनी में वर्षा का पानी न भरे।

उल्लेखनीय है कि टाइम्स कालेज के द्वारा निर्मित पुलिया के सामने की ओर आवेदक अजय चौबे के हाउसिंग बोर्ड से प्राप्त दो प्लाट क्र 325 A एवं 325 B हैं। आवेदक द्वारा नाले की सीमा पर अपना पिलर बना कर कब्जा किया गया है (फोटोग्राफ संलग्न हैं) ।

संपूर्ण जांच में मुख्य रूप से यह पाया गया कि करौंदा नाला है जो आमचौपरा से निकलकर दमोह शहर व लाडनबाग से होता हुआ हिरदेपुर तक जाता है जिसमे बरसात के पानी की निकासी के साथ विभिन्न कालोनियों वैशालीनगर, पुलिस कालोनी, श्रीवास्तव कालोनी, विवेकानंद नगर का सीवेज की निकासी होती है। नाले का प्राकृतिक बहाव किसी भी प्रकार से बाधित नही होता, न ही पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव पड रहा है।

मुख्य रसायनज्ञ क्षेत्रीय कार्या.म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर	मुख्यनगरपालिका अधिकारी दमोह	तहसीलदार, नजूल दमोह	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह